



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240384
CG-DL-E-17112022-240384

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5147]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944

No. 5147]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

का.आ. 5373(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्र सरकार एत द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में का.आ. 21(अ) दिनांक 04 जनवरी, 2022 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) दिनांक 04 जनवरी, 2022 में प्रकाशित अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, तालुक/मंडल नौगढ़ से संबंधित कॉलम 7 में क्रम संख्या 90 पर प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।

फुटनोट- मूल अधिसूचना का.आ. 21(अ) दिनांक 04 जनवरी, 2022 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) दिनांक 04 जनवरी, 2022 में प्रकाशित।

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/NH-730/LA/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 17th November, 2022

S.O. 5373(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 21(E) dated 04th January, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 04th January, 2022 namely :—

In the schedule to the said notification, the entry at S. No. 90 in column 7 pertaining to Taluk/MandalNaugarh shall be deleted.

Footnote: The principle notification was published vide S.O. 21(E) dated 04.01.1922, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (II), dated 04th January.

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/NH-730/LA/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director